

17^S/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनुरूप अनुसार तीन बार आवेजें लगाई जाने के बावजूद वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम राजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली